परिपत्र संख्या 16/11

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर

कमांक एफ 7(53)जन/08/25070 दिनांकः 17-10-11

परिपत्रं

विषयः राज्य अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफ.डी./टैक्स/2010-66 दिनांक 25.8.10 द्वारा मुद्रांक शुल्क में दी गई रियायत के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) के तहत अधिसूचना क्रमांक एफ.12(28)एफ.डी./टैक्स/2010-66 दिनांक 25.8.10 द्वारा मुद्रांक शुल्क में दी गई रियायत के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया :-

1. पुराने उद्योग/इकाई के विक्रय पर भी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत छूट देय है अथवा नहीं ?

2. रीको की मूल लीजडीड पंजीबद्ध होने पर व स्टाम्प शुल्क में छूट लेने के बाद प्लाट के पुनर्बेचान पर शून्य गतिविधि के होने पर छूट देय है अथवा नहीं ?

3. इकाई स्थापित करने के लिये भूमि क्रय करने अथवा लीज पर लेने के लिये निष्पादित दस्तावेज पंजीयन हेतु पेश होने पर अधिसूचना दिनांक 25.8.10 के अन्तर्गत देय स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की रियायत तत्समय नहीं दी जावे। यदि इकाई के क्रेता द्वारा शर्तो की पूर्ण पालना कर ली जाती है और उद्योग विभाग उन्हें प्रमाणित करता है तो क्रेता को 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की राशि का रिफण्ड किया जावे।

उक्त बिन्दुओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.2(34)वित्त/कर/2011 दिनांक 22.9.11 विभाग को प्रेषित कर मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है :-

1. *स्टाम्प ड्यूटी से छूट का लाभ विस्तार, आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण हेतु क्रय की जाने वाली इकाईयों को भी उपलब्ध है। यदि पुरानी इकाई का क्रय विस्तार, आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण द्वारा निवेश हेतु किया जा रहा है, तो पुरानी इकाई की खरीद पर भी स्टाम्प ड्यूटी की छूट देय है।*

2. ***"It would not be appropriate to allow exemption from stamp duty on transfer of land which has already been given this benefit earlier and on which no investment have been made by the applicant.'"***

3. *RIPS 2010 के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित रियायत, छूट (Exemption) के रूप में दी गई है। छूट का लाभ उसी समय देय है जब कर/शुल्क का दायित्व उत्पन्न होता है। कर/शुल्क का दायित्व उत्पन्न हो जाने तथा कर/शुल्क का नियत प्रक्रिया के अनुसार*

राजकोष में भुगतान हो जाने के पश्चात् दिया जाने वाला रिफण्ड, छूट की श्रेणी में ना आकर अनुदान की श्रेणी में आवेगा।

अतः राज्य सरकार द्वारा दिये गये उपरोक्त मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक एफ 7(53)जन/08/85071-590 दिनांकः 17-10-1

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर ।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर